

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01042025-262179
SG-DL-E-01042025-262179असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 456
No. 101]	DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947	[N. C. T. D. No. 456

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 27 मार्च, 2025

F.14(98)/LA-2025/jtsecylaw/208-217.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 26th March, 2025 को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है —

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2025
(2025 का दिल्ली अधिनियम 01)

(25th March, 2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

{ 27 March, 2025 }

वर्ष 2024-2025 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

₹163,43,65,000/— का वर्ष 2024-2025 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2025 है।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभागों की अदायगी के लिए एक सौ तिरसठ करोड़ तैंतालीस लाख पैंसठ हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2024-2025 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।
3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

विनियोजन**अनुसूची**

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
I	II		III	IV	V
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	100	85	185
		पूँजी	100	0	100
4	वित्त	राजस्व	200	0	200
		पूँजी	75018	0	75018
5	गृह	राजस्व	0	3300	3300
		पूँजी	100	0	100
6	शिक्षा	राजस्व	600	0	600
		पूँजी	1436971	0	1436971
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	1100	215	1315
		पूँजी	1436971	0	1436971
8	समाज कल्याण	राजस्व	1800	100	1900
		पूँजी	100	0	100
9	उद्योग	राजस्व	0	5	5
		पूँजी	100	0	100
10	विकास	राजस्व	800	160	960
		पूँजी	500	0	500

11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	100	0	100
		पूँजी	400	112511	112911
	योग		1517989	116376	1634365

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य

(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th March, 2025

F. No. 14/98/LA-2025-jtsecylaw/208-217.— The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 26th March, 2025 and is hereby published for general information.

**“THE DELHI APPROPRIATION (No. 1) ACT, 2025”
(DELHI ACT No. 01 OF 2025)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 25th March, 2025).
[27th March, 2025]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2024-2025.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2025.

Issue of `163,43,65,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2024-2025.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees one hundred sixty three crore forty three lakh sixty five thousand only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2024-2025 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(₹ In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
3	Administration of Justice	Revenue	100	85	185
		Capital	100	0	100
4	Finance	Revenue	200	0	200

		Capital	75018	0	75018
5	Home	Revenue	0	3300	3300
		Capital	100	0	100
6	Education	Revenue	600	0	600
7	Medical and Public Health	Revenue	1100	215	1315
		Capital	1436971	0	1436971
8	Social Welfare	Revenue	1800	100	1900
		Capital	100	0	100
9	Industries	Revenue	0	5	5
		Capital	100	0	100
10	Development	Revenue	800	160	960
		Capital	500	0	500
11	Urban Development and Public Works	Revenue	100	0	100
		Capital	400	112511	112911
	Total		1517989	116376	1634365

REETESH SINGH, Principal Secy.

Law, Justice & Legislative Affairs